न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 3/2022 तारीख रजू 03.01.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

..........आवेदक

बनाम

विनोद कुमार सिंघल पुत्र श्री नवल किशोर सिंघल विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– विजय मावा भण्डार, ए–12, सब्जी मण्डी के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी– 207, सुरेश फ्लोर मिल के पास, जटवाडा खुर्द, सवाईमाधोपुर।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि॰ 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांक 29/8/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.03.2021 को 2:15पी.एम. पर मैसर्स–विजय मावा भण्डार, ए–12, सब्जी मण्डी के पास, बजरिया सवाई माधोपुर पर अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं का नाम विनोद कुमार सिंघल एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना जाहिर किया एवं मिल्क केक (मावा मिठाई) इत्यादि को आम जन को विक्रय करना जाहिर किया। मौके पर स्वयं के आई.डी. प्रूफ की प्रति, फूड लाईसेन्स एवं अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर दुकान में कार्टन के गत्तो में (भर्ती 2.5 किलो प्रत्येक) मिल्क केक (मावा मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसके अवमानक का शक होने पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार सिंहल को सूचित करते गवाह की उपस्थिति में 2 किलो मिल्क केक (मावा मिठाई) वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार सिंघल को 200/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर व समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने मालिक व गवाहान की उपस्थिति में खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) को 4 साफ, सूखे एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर डाला तथा चारों शीशीयों में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिकारी,सवाई माधोपुर के कोड एवं सीरियल नम्बर एच–2026 खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक एच–2026 नीचे से ऊपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार सील चपड़ी किया। चारो नमूना भाग पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सीलबंद चारों नमूनों को अपने कब्जे में लिया, की गई समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की जिसे पढकर, पढाकर, समझाकर व सही मानकर होश हवास में विक्रेता एवं मालिक व गवाह के हस्ताक्षर किये तत्पश्चात स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एच–2026 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही आवेदक ने स्वयं, गवाह व विक्रेता एवं मालिक के सामने मौके पर ही की। आवेदक द्वारा कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की गयी जिस पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सील्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रख कर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी से सील्ड किया गया। फार्म सं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को अगले कार्य दिवस में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के जरिये जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक को अभिहित अधिकारी के पत्रांक 1626 दिनांक 22.03.2021 के साथ संलग्न जॉच मूल रिपोर्ट संख्या एलएस/325/एक्ट/2021/407 दिनांक 15.03.2021 से आवेदक को प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) का नमूना अनसेफ होना पाया गया है, जिसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को नियम 2.4.2 (6) के तहत देते हुए धारा 46 की उपधारा (4) के तहत फार्म नं. 8 में नमूने की पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत 30 दिवस का समय दिया गया। विक्रेता द्वारा रेफरल लेब में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नमूना जांच हेतु रेफरल लेब पुणे भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ में **Butyrorefretometer reading 40.0-43.0** के स्थान पर 65.1 पाया गया जो कि प्रयोगशाला पुणे की **opinion** के अनुसार यह नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का निर्माण/विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर [illegible] किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त [illegible] अधिवक्ता [illegible] आये।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य सामग्री मावा को सब स्टेण्डर्ड प्रकृति का माना जाकर स्वंय द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनतम पेनल्टी राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/326/एक्ट/2021/407 दिनांक 15.03.2021 एवं रैफरल पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट RFL/P/DO/318/21/470/2021 दिनांक 30.6.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर/पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। तथा जॉच दोनो लेबो की जॉच से प्रमाणिक है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:37 IST
Reason: SelfAttested